न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – /2018 पुनरीक्षण

निगरानी - 3585/2018/दतिया/भू.रा.

1. पौलिना टौपो पत्नी प्रकाश टौपो
2. कु. फुल जैसिमा पुत्री मरकुश लकड़ा निवासीगण बुन्देला कालोनी दतिया म0प्र0

... आवेदकगण

बनाम

1. मोहर सिंह पुत्र चिन्तामणि सिंह कौरव बुन्देला कालोनी दतिया
2. राजू गुगोरिया पुत्र राधेश्याम गुगोरिया
3. लक्ष्मण सिंह यादव पुत्र मलायम सिंह यादव
4. वीर सिंह पटेल
5. श्रीमती उर्मिला देवी गुप्ता पत्नी वैदेहीशरण गुप्ता निवासी पंचशील नगर दतिया (म0प्र0)

... अनावेदकगण

श्री मुकेश ... द्वारा आज दि0 11-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 22-6-18 नियत।
रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 11-6-18

<u>तहसीलदार दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/अ–70/17–18 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2018 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत करते है :–

(1) यह कि, तहसीलदार न्यायालय की कार्यवाही एवं आदेश अवैध, अनुचित एवं न्याय प्रक्रिया में पूर्णतः विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि, पप्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 2720 मिन–5 रकवा 0.026 के आवेदकगण भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है । उक्त भूमि दतिया गिर्द में स्थित है ।

(3) यह कि, अनावेदक उक्त भूमि के न तो भूमि स्वामी हैं और न ही सह खातेदार है । आवेदकगण एवं अनावेदकगण की भूमि के मध्य शासकीय

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3585/2018 जिला–दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–8–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार दतिया के प्रकरण कमांक 7/अ–70/2017–18 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 10.5.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनावेदक द्वारा धारा 133, 134 के तहत ग्राम रामनगर की भूमि सर्वे कमांक 24/1 मिन 9 पर जबरन कब्जा किया गया था इस हेतु तहसीलदार द्वारा खसरा नकल का सूक्ष्मता से परीक्षण किये जाने पर पाया कि उपरोक्त भूमि निजी भूमि स्वामित्व की भूमि है। निजी भूमि पर किसी के द्वारा कब्जा किये जाने से धारा 250 ही लागू होता है। जिसे तहसीलदार द्वारा धारा–250 में दर्ज करने का आदेश दिया गया है जो उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 10.5.18 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। 3–उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार दतिया के प्रकरण कमांक 7/अ–70/2017–18 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 10.5.18 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। सदस्य	